क्रम-संख्या–102 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 2 जुलाई, 2024

आषाढ़ 11, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

दुग्ध विकास अनुभाग–1

संख्या 662 / 53-1–2024-1(18)-2005
लखनऊ, 2 जुलाई, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०–19

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास सेवा नियमावली,1981 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैः–

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2024 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का प्रतिस्थापन

2– उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास सेवा नियमावली, 1981 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–3 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
परिभाषायें,– 3–जब तक विषय, या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में,–	**परिभाषायें,–** 3–जब तक विषय, या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में,–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्यपाल से है;	(क)'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;
(ख) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;	(ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्यपाल से है;
(ग) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है;	(ग) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;
(घ) 'संविधान' का तात्पर्य भारत के संविधान से है;	(घ) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है;
(ङ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;	(ङ) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;
(च) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;	(च) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;
(छ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के उपबंधों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;	(छ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;
(ज) 'दुग्ध आयुक्त' का तात्पर्य दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उत्तर प्रदेश से है,	(ज) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के उपबंधों अथवा इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;
(झ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास सेवा से है; और	(झ) 'दुग्ध आयुक्त' का तात्पर्य दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उत्तर प्रदेश से है;
(ञ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ।	(ञ) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य समय–समय पर यथा–संशोधित अधिनियम की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों से है;
	(ट) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास सेवा से है;
	(ठ) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो तथा नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हों तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;
	(ड) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

नियम 4 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप नियम 4(2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
सेवा का संवर्ग– 4–(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक प्रवर्ग के पदों की संख्या, जब तक कि उप–नियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिए जायें, उतनी होगी जितनी नीचे दी गई है:–	**सेवा का संवर्ग–** 4–(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक कि उप–नियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिए जायें, उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है:–

पद का नाम	संख्या	
	स्थायी	अस्थायी
समूह 'क'		
1–मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी प्रास्थगित	1	
2–दुग्धशाला विकास अधिकारी	1	7
3– दुग्धशाला (प्राविधिक) अभियंता	1	
समूह 'ख'		
1–उप दुग्धशाला विकास अधिकारी	6	3
2–दुग्धशाला सर्वेक्षक	1	
3–दुग्धशाला प्रबंधक	6	11
4–सहायक निदेशक	2	
5–सहायक निदेशक (प्रशासन)	1	
6– सांख्यिक	1	

पदों का नाम	पदों की संख्या		
	स्थायी	अस्थायी	योग
समूह 'क'			
1–अपर आयुक्त दुग्धशाला विकास	1		1
2–मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी	2		2
3– दुग्धशाला विकास अधिकारी	08		08
समूह 'ख'			
1–उप दुग्धशाला विकास अधिकारी / दुग्धशाला प्रबंधक	29		29

परन्तु राज्यपाल–

(एक) किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या उसे प्रास्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा; या

(दो) समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जो आवश्यक समझे जायें।

परन्तु यह कि–

(एक) नियुक्त प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकती हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकती हैं जैसा वह उचित समझें।

नियम 5 का प्रतिस्थापन

4– उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
भर्ती का स्रोत– 5– सेवा में विभिन्न प्रवर्गों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी– **(1) मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी–** ऐसे दुग्धशाला विकास अधिकारियों में से जो इस पद पर स्थायी हो या इस पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हों और उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला सर्वेक्षक, दुग्धशाला प्रबन्धक या सहायक निदेशक के पद पर स्थायी हों, योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा । **(2) दुग्धशाला विकास अधिकारी–** ऐसे स्थायी उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला प्रबंधक, सहायक निदेशक और	**भर्ती का स्रोत–** 5– सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी– **(1) अपर आयुक्त, दुग्धशाला विकास–** मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारियों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 01 वर्ष की सेवा और मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी तथा दुग्धशाला विकास अधिकारी के रूप में की गयी कुल 09 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से, योग्यता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा। **(2) मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी–** मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे दुग्धशाला विकास अधिकारियों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
दुग्धशाला सर्वेक्षक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिनांक को पांच वर्ष की न्यूनतम सेवा (जिसमें अस्थायी सेवा सम्मिलित है) पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।	को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से, ज्येष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा।
(3) उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, (4) सहायक निदेशक, (5) दुग्धशाला पर्यवेक्षक और (6) दुग्धशाला प्रबंधक– (एक) अधीनस्थ दुग्धशाला विकास सेवा समूह 'एक' के ऐसे स्थायी सदस्यों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिनांक को पांच वर्ष की न्यूनतम सेवा (जिसमें अस्थायी सेवा सम्मिलित है) पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा । (दो) आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वाराः परन्तु उप दुग्धशाला विकास अधिकारी,सहायक निदेशक, दुग्धशाला सर्वेक्षक और दुग्धशाला प्रबंधक के पदों पर भर्ती इस प्रकार से की जाएगी कि संवर्ग में 50 प्रतिशत पद पदोन्नत व्यक्तियों द्वारा और 50 प्रतिशत पद सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों द्वारा धृत किये जायें।	**(3) दुग्धशाला विकास अधिकारी**– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उपदुग्धशाला विकास अधिकारियों/दुग्धशाला प्रबंधकों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो,में से,ज्येष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा। **(4) उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/दुग्धशाला प्रबंधक**– (एक) मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षकों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। (दो) आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, परन्तु उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/दुग्धशाला प्रबंधक के पद पर भर्ती इस प्रकार से की जाएगी कि संवर्ग में पचास प्रतिशत पद पदोन्नत व्यक्तियों द्वारा और पचास प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायें।
(7) दुग्धशाला (प्राविधिक) अभियंता– आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। **(8) सांख्यिक**– ऐसे स्थायी सांख्यकीय सहायकों में से जिन्होंने इस पद पर भर्ती के वर्ष के प्रथम दिनांक को पांच वर्ष की न्यूनतम सेवा (जिसमें अस्थायी सेवा सम्मिलित है) पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	

नियम 6 का प्रतिस्थापन

5–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
आरक्षण– 6–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायगा ।	**आरक्षण**– 6–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020, और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार भी किया जायेगा ।

नियम 10 का प्रतिस्थापन

6–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
आयु 10–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को 21 वर्ष की होनी चाहिए और दुग्धशाला (प्राविधिक) अभियन्ता के पद के सम्बन्ध में 35 वर्ष और अन्य पदों के सम्बन्ध में 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये : परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किये जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	**आयु** 10–सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायं, के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

नियम 15 का प्रतिस्थापन

7–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ–2 मे दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/ सहायक निदेशक/दुग्धशाला सर्वेक्षक/ दुग्धशाला प्रबंधक/दुग्धशाला (प्राविधिक) अभियंता के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया – 15–(1) आयोग द्वारा चयन के लिये विचारार्थ आवेदन–पत्र विहित प्रपत्र में जो भुगतान किये जाने पर,यदि कोई हो, आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकते हैं, आमंत्रित किये जायेंगे। (2) आयोग द्वारा नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य प्रवर्गों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा जितने वह उचित समझे और जो अपेक्षित अर्हता पूरी करते हों । (3) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों से प्रकट हो एक सूची तैयार करेगा यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो आयोग सेवा के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता के क्रम में उनके नाम रखेगा, सूची में नामों को संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। आयोग यह सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।	**उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/ दुग्धशाला प्रबंधक के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया**– 15–(1) चयन के लिए विचारार्थ आवेदन पत्र, आयोग द्वारा प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किए जायेंगे। (2) आयोग, नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाएगा जितने वह उचित समझे और जो अपेक्षित अर्हता पूर्ण करते हों। (3) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता के क्रम में, जैसाकि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंक से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग सेवा हेतु सामान्य उपयुक्तता के आधार पर उनके नामों को योग्यता क्रम में व्यवस्थित करेगा । सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (आयोग द्वारा यथा विनिश्चित) होगी । आयोग नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगा।

नियम 16 का प्रतिस्थापन

8–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 16 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी और दुग्धशाला विकास अधिकारी, सांख्यिक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती– 16–(1) मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास अधिकारी और सांख्यिक के पद पर भर्ती निम्न प्रकार से गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगीः– **(क) मुख्य दुग्धशाला अधिकारी पद के लिये–** (एक) सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। (दो) सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, और (तीन) दुग्ध आयुक्त। **टिप्पणी**– ज्येष्ठ सचिव अध्यक्ष होगा। **(ख) दुग्धशाला विकास अधिकारी के पद के लिए–** (एक) सचिव, पशुधन विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। (दो) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार जो मुख्य सचिव द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। **(ग) सांख्यिक के पद के लिये–** (एक) विशेष सचिव, पशुधन विकास विभाग जो सचिव और आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। (दो) उप सचिव, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार । (तीन) दुग्ध आयुक्त । (2) नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा, और उसे अभ्यर्थियों की चरित्र पंजिकाओं और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेख के साथ जो उचित समझे जायें चयन समिति के समक्ष रखेगा। (3) चयन समिति उप–नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है। (4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। **टिप्पणीः**–चयन करते समय राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग के शासनादेश संख्या 15/25/75/ रा०एकी०, दिनाक 10 मई, 1976 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। (प्रतिलिपि परिशिष्ट ख के रूप में संलग्न है)	**अपर आयुक्त, दुग्धशाला विकास, मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी और दुग्धशाला विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती–** 16–(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर की जाएगी। **टिप्पणी**–चयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा–7 के अधीन दिये गये आदेश अनुसार किया जाएगा। (2) नियुक्ति प्राधिकारी, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा। (3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी, और यदि आवश्यक समझे, तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है। (4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसा कि उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और वही नियुक्ति अधिकारी को अग्रसारित करेगी।

नियम 17 का प्रतिस्थापन

9–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 17 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, सहायक निदेशक, दुग्धशाला प्रबंधक और दुग्धशाला सर्वेक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती– 17–उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला प्रबंधक, सहायक निदेशक और दुग्धशाला सर्वेक्षक और सांख्यिक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथा–संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जाएगी।	**उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/ दुग्धशाला प्रबंधक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती–** 17–पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी।

नियम 19 का प्रतिस्थापन

10–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 19 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियुक्ति– 19 (1) मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को उस क्रम से लेकर जिसमें उनके नाम यथास्थिति, नियम 15, 16, 17 या 18 के अधीन तैयार की गई सूची में हो, नियुक्तियां करेगा। (2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उप–नियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्ति कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से ऐसी रिक्तियों में नियुक्तियां कर सकता है: परन्तु मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी या दुग्धशाला विकास अधिकारी पद पर ऐसी नियुक्ति एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये या अगला चयन किये जाने तक इनमें जो भी पहले हो, की जायगी और अन्य सेवा में शेष पदों में से किसी पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति आयोग से परामर्श लिये बिना कुल मिलाकर लगातार एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए उक्त पद को धृत नहीं करेगा।	**नियुक्ति–** 19 (1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम, जिसमें वे यथास्थिति नियम 15,16,17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, में लेकर नियुक्ति करेगा। (2) जहां, भर्ती के किसी भी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों, तो वहॉ नियमित नियुक्ति तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय। (3) यदि किसी एक चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किए जायें, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जाएगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उसी ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसा यथास्थिति, चयन में अवधारित किया जाय अथवा जैसे कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय । यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो प्रकार से की जायें तो नामों को नियम 18 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखा जायेगा।

नियम 20 का प्रतिस्थापन

11–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 20 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
परिवीक्षा– 20 (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्ति में या उसके प्रतिनियुक्त किये जाने पर कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायगा। (2) नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है,जिसमें ऐसा दिनांक विर्निदिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढ़ायी जाए: परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।	**परिवीक्षा–** 20 (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर व्यक्ति को समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जाएगा। (2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अंत में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अंत में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। (4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवाएं समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। (5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरंतर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिये गणना करने की अनुमति दे सकता है।	पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है। (3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उप–नियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। (4) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

नियम 22 का प्रतिस्थापन

12–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 22 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
स्थायीकरण– 22–किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अंत में उसकी नियुक्ति में स्थायी किया जायेगा, यदि– (क) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो; (ख) उसने विहित प्रशिक्षणय यदि कोई हो, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो; (ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो; (घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाए, और (ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वे स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त हैं ।	**स्थायीकरण–** 22–(1) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि के अंत में उसकी नियुक्ति में स्थायी किया जाएगा, यदि– (क) वह विहित विभागीय परीक्षा यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर लिया हो, (ख) वह विहित प्रशिक्षण यदि कोई हो, सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो, (ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, (घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और (ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है। (2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली,1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम–5 के उप–नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुये आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

नियम 23 का प्रतिस्थापन

13–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 23 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
ज्येष्ठता– 23–सेवा में किसी भी प्रवर्ग या पद पर ज्येष्ठता मौलिक रूप से नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जाएगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाएं तो उस क्रम से अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों:– परन्तु– (1) सेवा में सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जो चयन के समय अवधारित की जाए, और (2) सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा धृत मौलिक पद पर रही हो। टिप्पणी– (1) सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा। (3) जहां नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पिछला दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाए जब से किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्त की जानी हो, वहां उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा। अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।	**ज्येष्ठता–** 23–सेवा में किसी भी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जाएगी।

नियम 24 का प्रतिस्थापन

14–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 24 के स्थान पर स्तम्भ–2 मे दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
वेतनमान– 24–(1) सेवा में विभिन्न प्रवर्गों के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाए,	**वेतनमान–** 24–(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय पर वेतनमान नीचे दिए गए हैं:–	(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय पर वेतनमान नीचे दिए गए हैं:–

पद का नाम	वेतनमान
1–मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी	1200–50–1500–द0रो0 –60–1800 रु0
2–दुग्धशाला (प्राविधिक) अभियन्ता	1400–50–1500–द0रो0 –60–1800 रु0
3– दुग्धशाला विकास अधिकारी	800–50–1050–द0रो0–50–1300–द0रो0–50–1450 रु0
4–उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, सहायक निदेशक, दुग्धशाला प्रबंधक और दुग्धशाला सर्वेक्षक	550–30–700–द0रो0 –40–900–द0रो0–50–1200 रु0
5–सांख्यिक	550–30–700–द0रो0 –40–900–द0रो0– 50–1200 रु0

पद का नाम	वेतन मैट्रिक्स (न्यूनतम अधिकतम)	वेतन मैट्रिक्स लेबल
1–अपर आयुक्त, दुग्धशाला विकास	123100–215900	13
2–मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी	78800–209200	12
3– दुग्धशाला विकास अधिकारी	67700–208700	11
4–उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/ दुग्धशाला प्रबंधक	56100–177500	10

नियम 26 का निकाला जाना

15–उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम 26 को निकाल दिया जाएगा।

परिशिष्ट 'क' का प्रतिस्थापन

16–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ एक में दिये गये नियम–8 के साथ संलग्न विद्यमान परिशिष्ट 'क' के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिए गए परिशिष्ट रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 **विद्यमान परिशिष्ट** (नियम 8 देखिये)	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट** (नियम 8 देखिये)
समूह ''क'' और ''ख'' के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव । दुग्धशाला (प्राविधिक) अभियंता **अनिवार्य अर्हता**– (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक या विद्युत् अभियंत्रण में उपाधि (यांत्रिक अभियन्त्रण में अधिमान दिया जायेगा)। (2) ब्वायलर प्रशीतन दुग्धशाला संयंत्र कर्मशाला, डीजल जेनरेटर्स इत्यादि में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव । अधिमानी अर्हतायें– (1) डिजाइन तैयार करने का अनुभव और डिजाइन तैयार करने में आधुनिक विकास का ज्ञान/अनुभव। (2) दुग्धशाला के पुनर्गठन और प्राविधिक विकास का ज्ञान और अनुभव। (3) प्रशीतन, ब्वायलर और विद्युत, अधिष्ठापन का प्रशिक्षण । उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला प्रबंधक, दुग्धशाला सर्वेक्षक,दुग्धशाला सहायक निदेशक।	उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/ दुग्धशाला प्रबंधक के पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हतायें और अनुभव । **अनिवार्य अर्हतायें:** (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से दुग्धशाला प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि । या किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या विदेशी संस्थान से दुग्धशाला विज्ञान में डिप्लोमा। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन और दुग्धशाला में विशेषज्ञता के साथ कृषि में स्नातक उपाधि । (2) दुग्धशाला प्रौद्योगिकी में जिनके पास स्नातक उपाधि नहीं है, उनके लिये सहकारी दुग्धयोजना या दुग्ध उत्पाद संयंत्र में पांच वर्ष कार्य करने का अनुभव । (3) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान।

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
अनिवार्य अर्हतायें: (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से दुग्धशाला प्रोद्योगिकी में स्नातक उपाधि । या किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या विदेशी संस्थान से दुग्धशाला विज्ञान में डिप्लोमा। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन और दुग्धशाला में विशेषज्ञता के साथ कृषि में स्नातक उपाधि । (2) दुग्धशाला प्रोद्योगिकी में जिनके पास स्नातक उपाधि नहीं है, उनके लिये सहकारी दुग्ध योजना या दुग्ध उत्पाद संयंत्र में पांच वर्ष कार्य करने का अनुभव । (3) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान ।	

आज्ञा से,
रविन्द्र,
प्रमुख सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of Clause (3) of the Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 662/53-1-2024-1(18)-2005**,** dated July 2, 2024 :

No. 662/53-1-2024-1(18)-2005

Dated Lucknow, July 2, 2024

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Dairy Development Service Rules, 1981.

THE UTTAR PRADESH DAIRY DEVELOPMENT SERVICE
(SECOND AMENDMENT) RULES, 2024

Short title and commencement

1. (1) These Rules may be called, "The Uttar Pradesh Dairy Development Service (Second Amendment) Rules, 2024''.

(2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 3

2. In the Uttar Pradesh Dairy Development Service Rules, 1981 hereinafter referred to as the said rules, for existing rule 3 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be *substituted*, namely : –

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Definition– 3-In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,- (a) 'appointing authority' means the Governor; (b) 'citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;	**Definition–** 3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context: (a) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation For Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
(c) 'Commission' means the Uttar Pradesh Public Service Commission;	(b) 'appointing authority' means the Governor;
(d) 'Constitution' means the Constitution of India;	(c) 'citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;
(e) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;	(d) 'Commission' means the Uttar Pradesh Public Service Commission;
(f) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;	(e) 'Constitution' means the Constitution of India;
(g) 'Member of the service' means a person appointed in a substantive capacity, under the provision of these rules or of the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;	(f) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;
(h) 'Milk Commissioner' means the Milk Commissioner, Dairy Development, Uttar Pradesh;	(g) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;
(i) 'Service' means the Uttar Pradesh Dairy Development Service ; and	(h) 'Member of the service' means a person appointed in a substantive capacity, under the provision of these rules or of the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;
(j) 'Year of recruitment' means the period of twelve months beginning from the first day of July of a calendar year.	(i) 'Milk Commissioner' means the Milk Commissioner, Dairy Development, Uttar Pradesh;
	(j) 'Other Backward Classes of citizen' means the backward classes of citizen specified in Scheduled I of the Act, as amended from time to time;
	(k) 'Service' means the Uttar Pradesh Dairy Development Service ;
	(l) 'Substantive appointment' means an appointment not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and ,if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;
	(m) 'Year of recruitment' means the period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.

Amendment of rule 4

3. In the said rules, for existing sub rule 4(2) set out in Column 1 below, the sub rule as set out in Column 2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1 *Existing Sub-rule*	COLUMN-2 *Sub-rule as hereby substituted*
Cadre of the service–	**Cadre of the service–**
4.(2) The strength of the service and each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub- rule (1), be as below:	4.(2) The strength of the service and each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub- rule (1), be as below:

COLUMN-1

Existing Sub-rule

Name of Posts	Number	
	Permanent	Temporary
Group 'A'		
1- Chief Dairy Development Officer (in abeyance)	1	
2- Dairy Development Officer	1	7
3- Dairy (Technical) Engineer	1	
Group 'B'		
1- Deputy Dairy Development Officer	6	3
2- Dairy Surveyor	1	
3- Dairy Manager	6	11
4- Assistant Director	2	
5- Assistant Director (Administration)	1	
6- Statistician	1	

Provided that the Governor may:–

(i) Leave unfilled, or hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) Create such additional permanent or temporary posts, from time to time, as may be found necessary.

COLUMN-2

Sub-rule as hereby substituted

Name of Posts	Number of Post		
	Permanent	Temporary	Total
Group 'A'			
1- Additional Commissioner, Dairy Development	1		1
2-Chief Dairy Development Officer	2		2
3- Dairy Development Officer	08		08
Group 'B'			
1- Deputy Dairy Development Officer/Dairy Manager	29		29

Provided that :–

(i) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as they may consider proper.

Substitution of rule 5

4- In the said rules, for existing rule 5, set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be *substituted,* namely:-

COLUMN-1

Existing rule

Source of Recruitment–

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:–

(1) Chief Dairy Development Officer- By promotion on the basis of merit from amongst the Dairy development Officers who are permanent on this post or who are officiating on this post and are permanent on the post of Deputy Dairy Development Officer, Dairy Surveyor, Dairy Manager, or Assistant Director.

(2) Dairy Development Officer- By promotion, on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit from amongst permanent Deputy Dairy Development Officer, Dairy Managers, Assistant Directors and Dairy surveyor who have put in a minimum service of 5 years (including temporary service) on the first day of the year of recruitment.

COLUMN-2

Rule as hereby substituted

Source of Recruitment–

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:–

(1)Additional Commissioner, Dairy Development–By promotion on the basis of merit from amongst substantively appointed Chief Dairy Development Officers, who have completed 01 year of service as such and total 09 years of service rendered as Chief Dairy Development Officer and Dairy Development Officer on the first day of recruitment year .

2. Chief Dairy Development Officer:–By promotion, on the basis of seniority from amongst substantively appointed Dairy Development Officers, who have completed 05 years of service as such on the first day of recruitment year.

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
(3) Deputy Dairy Development Officer, (4) Assistant Director, (5) Dairy Surveyor and (6) Dairy Manager- **(i)** By promotion, on the basis of merit through the Commission from amongst the permanent Members of the subordinate dairy development services, Group I, Who have put in a minimum service of 5 years (Including temporary service) on the first day of the year of recruitment. **(ii) By direct recruitment through the commission:–** Provided that recruitment to the posts of Deputy Dairy Development Officer, Assistant Director, Dairy Surveyor and Dairy Manager shall be so arranged that, as far as possible 50 percent of the posts in the cadre are held by promotes and 50 percent by direct recruits. **(7) Dairy (technical) Engineer-**By direct recruitment through the Commission. **(8) Statistician-**By promotion on the basis of merit, through the Commission, from amongst permanent Statistical Assistants who have put in a minimum service of 5 years (including temporary service) on the post on the first day of the year of recruitment.	**3.Dairy Development Officer:** By Promotion, on the basis of seniority from substantively appointed Deputy Dairy Development Officers/Dairy Managers who have completed 7 years of service as such on the first day of recruitment year. **4. Deputy Dairy Development Officer/Dairy Manager:–** (i) By promotion through the Commission on the basis of seniority rejecting the unfit from amongst substantively appointed Senior Milk Inspectors who have completed five years service' as such on the first day of recruitment year. (ii) By direct recruitment through the Commission, but recruitment to the post of Deputy Dairy Development Officer/Dairy Manager shall be done in such a way that fifty percent of the posts in the cadre are filled by the promoted persons and fifty percent by the direct recruits.

Substitution of rule 6

5. In the said rules, for existing rule 6 set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Reservation– 6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.	**Reservation–** **6.** Reservation for the candidates belonging to Scheduled castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the 'Act' and Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, and also in accordance with the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2020 as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

Substitution of rule 10

6. In the said rules, for existing rule 10 set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Age– **10.** A candidate for direct recruitment to a post in the service must have attained the age of 21 years and in respect of the post of dairy (Technical)	**Age**– **10.** A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 40 years on the first day of July of the

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Engineer must not have attained the age of more than 35 years and in respect of other posts must not have attained the age of more than 30 years on July 1 of the year of recruitment: Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled tribes and such other categories, as may be notified by the Government from time to time, shall be greater by such number of years as may be specified.	calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised: Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years or may be specified.

Substitution of rule 15

7. In the said rules, for existing rule 15 set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Procedure for direct recruitment to the post of Deputy Dairy Development officer/ Assistant Director/ Dairy Surveyor/ Dairy Manager/ Dairy (Technical) Engineer- **15. (1)** Applications for being considered for selection shall be called by the Commission in the prescribed form, which may be obtained from the Secretary to the Commission on payment, if any- (2) The commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Scheduled castes, Schedule Tribes and other categories in accordance with the rule 6, call for interview such number of candidates as they consider proper and who fulfill the requisite qualification. (3) The Commission shall, prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidates in the interview. If two or more candidates obtained equal marks, the Commission shall arrange their names in order of merit on the basis of their general suitability for the service. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than 25 percent) than the number of vacancies. The Commission shall forward the list to the appointing authority.	**Procedure for direct recruitment to the post of Deputy dairy development officer/Dairy manager-** **15.** (1) Applications for being considered for selection shall be called by Commission in the form published by the Commission. (2) The Commission shall, having regard to the securing due representation of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with the rule 6, call for interview such number of candidates as they consider proper and who fulfill the requisite qualification. (3) The Commission shall, prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidates in the interview. If two or more candidates obtained equal marks, the commission shall arrange their names in order of merit on the basis of general suitability for service. The number of the names in the list shall be larger (as decided by Commission) than the number of vacancies. The commission shall forward the list to the appointing authority.

Substitution of rule 16

8- In the said rules, for existing rule 16 set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Recruitment by promotion to the post of Chief Dairy Development officer and Dairy Development Officer, statistician- **16. (1)** Recruitment to the post of the Chief Dairy Development Officer, Dairy Development Officer and Statistician shall be made through a Selection Committee constituted as follows:	**Recruitment by promotion to the post of Additional Commissioner, Dairy Development, Chief Dairy Development officer and Dairy Development Officer -** **16**. (1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of the criterion

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
(A) For the post of Chief Dairy Development Officer; (i) Secretary to Government , Personal Department, (ii) Secretary to Government,Animal Husbandry Department, and (iii) Milk Commissioner. **Note- the Senior Secretary shall be Chairman**. (B) For the post of Dairy Development Officer, (i) Secretary to Government, Pashudhan Vikas Department and (ii) Another Secretary to Government to nominated by Chief Secretary. (C) For the post of Statistician: (i) Special Secretary Pashudhan Vikas Vibhag. Nominated by the Secretary and Commissioner. (ii) Deputy Secretary to the Government, Agricultural Production and Rural Development. (iii) Milk Commissioner. **(2)** The appointing authority shall prepare an eligibility list of the candidates, arranged in order of seniority, and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other record, pertaining to them, as may be considered proper. **(3)** The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records referred to in sub-rule(2) and, if it considers necessary it may interview the candidates also. **(4)** The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates, arranged in order of seniority, and forward the same to the appointing authority. NOTE-While making the selection, action will be taken in accordance with Rashtriya Ekikaran Anubhag, G.O. no. 15/25/75-Ra-Eki-, dated May 10, 1976 (Copy enclosed as Appendix B).	laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts outside the purview of the service commission Rules, 1992, as amended from time to time. NOTE- Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward classes) Act 1994, as amended from time to time. (2) The appointing authority shall prepare eligibility list of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility list rules 1986, as amended from time to time, and place the same before the selection committee along with their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper. (3) The selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in sub rule (2), and, if it considers necessary, it may interview the candidates also. (4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

Substitution of rule 17

9. In the said rules, for existing rule 17 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column- 2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Recruitment by promotion to the post of Deputy Dairy Development Officer, Assistant Director, Dairy Manager and Dairy Surveyor - **17.** Recruitment by promotion to the post of the Deputy Dairy Development Officer, Dairy Manager, Assistant Director and Dairy Surveyor and statistician shall be made in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970 as amended from time to time.	**Recruitment by promotion to the post of Deputy Dairy Development Officer/Dairy Manager-** **17.** Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970 as amended from time to time.

Substitution of rule 19

10- In the said rules, for existing rule 19 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column 2 shall be *substituted*, namely:–

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Appointment **19. (1)** On the occurrence of substantive vacancies, the Appointing Authority shall make appointments by taking candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15, 16, 17 or 18 as the case may be. (2) The appointing authority may make appointments in temporary and officiating vacancies also from the lists referred to in sub-rule (1). If no candidates borne on these lists is available he may make appointment in such vacancies from persons eligible for appointment under these rules: Provided that such appointment to the posts of Chief Dairy Development Officer or Dairy Development Officer shall not last for a period exceeding one year or till the next selection, whichever is earlier and a person appointed to any of the remaining posts in the service shall not hold the post in question for total continuous period of more than one year without the commission being consulted.	**Appointment** **19.** (1) Subject to the provision of sub-rule (2)the appointing authority shall make appointment by taking candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15, 16, 17 or 18 as the case may be. (2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion regular appointment shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 18. (3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct and by promotion, names shall be arranged in accordance with order, referred to in rule 18.

Substitution of rule 20

11. In the said rules, for existing rule 20 set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Probation **20** (1) A person on appointment to a post in service in or against a substantive vacancy shall be placed on probation for a period of two years.	**Probation** **20** (1) A person on substantive appointment to a post in Service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded in writing extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted: Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one's year, and in no circumstances beyond two years. (3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with. (4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation. (5) The appointing authority may allow continuous service rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre of any other equivalent or higher post to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.	Servants Probation Rules, 2013 as amended from time to time. (2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post his service may be dispensed with. (3) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation. (4) The appointing authority may allow continuous service, rendered in on officiating or temporary capacity in a post including in cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Substitution of rule 22

12- In the said rules, for existing rule 22 set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Confirmation **22-** A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if- (a) He has passed the prescribed departmental examination, if any, (b) He has successfully, undergone the prescribed training, if any, (c) His work and conduct are reported to be satisfactory, (d) His integrity is certified and (e) The appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.	**Confirmation** **22**- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2),a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the probation if- (a) He has passed the prescribed departmental examination, if any, (b) He has successfully undergone the prescribed training, if any, (c) His work and conduct is reported to be satisfactory, (d) His integrity is certified and (e) The appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation. (2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
	Government Servants Confirmation Rules,1991 confirmation is not necessary, the order under sub rule (3) of rule 5 of these rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation, shall be deemed to be the order of confirmation.

Substitution of rule 23

13. In the said rules, for existing rule 23 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column- 2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Seniority **23-** Seniority in any category or posts in the service shall be determined by the date of substantive appointment and if two or more persons are appointed together from the order in which the names are arranged in the appointment order: Provided that- (1) The inter se seniority of persons directly appointed to the service shall be the same as determined at the time of selection; and (2) The inter se seniority of persons appointed to the service by the promotion shall be the same as it was in the substantive post held by them at the time of probation. **Note-** (i) A candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when a vacancy is offered to him. The decision of the appointing authority as to the validity of the reasons will be final. (ii) Where the order of appointment specifies a back date with effect from which a person is to be appointed substantively that date will be deemed to be the date of the order of appointment. In other cases it will mean the date of the issue of the order.	**Seniority** **23-** The seniority of substantively appointed persons to any category of posts in the service shall be determined in accordance with the UP Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

Substitution of rule 24

14. In the said rules, for existing rule 24 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column- 2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Scale of pay **24(1)** The scales of pay admissible to persons appointed the various categories of posts in the service, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.	**Scale of pay** **24(1)** The scales of pay admissible to persons appointed to various categories of posts in the Service, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

COLUMN-1

Existing rule

(2) The scales of pay at the time of commencement of these rules are given as follows:

Name of the post	scale of pay
1.Chief Dairy Development Officer	Rs. 1200-50-1500-E.B.-60-1800
2.Dairy (technical) engineer	Rs. 1400-50-1500-E.B.-60-1800
3.Dairy Development Officer	Rs. 800-50-1050-E.B.-50-1300-E.B.-50-1450
4.Deputy dairy Development Officer, Assistant Director, Dairy Manager and Dairy surveyor	Rs. 550-30-700-E.B.-40-900-E.B.-50-1200
5.Statistician	Rs. 550-30-700-E.B.-40-900-E.B.-50-1200

COLUMN-2

Rule as hereby substituted

(2) The scales of pay at the time of commencement of these rules are given as follows:

Name Of Post	Pay Matrix (minimum/ Maximum)	Pay Matrix Level
1.Additional commissioner Dairy Development	123100-215900	13
2.Chief Dairy Development Officer	78800-209200	12
3.Dairy Development Officer	67700-208700	11
4.Deputy Dairy Development Officer/ Dairy Manager	56100-177500	10

Omission of rule 26

15. In the said rules, existing rule 26, shall be *omitted*.

Substitution of Appendix-A

16. In the said rules, for existing appendix A, appended with rule-8, as set out in column-1 below, the appendix as set out in column- 2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1

Existing Appendix

(See Rule 8)

ACADEMIC QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITMENT TO VARIOUS POSTS OF GROUP A AND B

Dairy (Technical) Engineer

Essential Qualifications:

(1) A degree in Mechanical or Electrical Engineering from a recognised University (preferably in Mechanical Engineering).

(2) A minimum of 10 years experience in boilers, refrigeration, Dairy plans, workshop, Diesel generators etc.

Preferential qualifications:

(1) Experience in design production and knowledge/experience of modern development in design production.

(2) Knowledge and experience of reorganization and technical development of Dairies.

(3) Training in refrigeration, Boiler and electrical instillation.

COLUMN-2

Appendix as hereby substituted

(See Rule 8)

ACADEMIC QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITMENT TO THE POST OF DEPUTY DAIRY DEVELOPMENT OFFICER/DAIRY MANAGER

Essential Qualification:

(1) Bachelor's Degree in Dairy Technology from a recognised University.

OR

Diploma in Dairy Science from a recognised Indian University or Foreign Institute.

OR

Bachelor's Degree in Agriculture with Specialisation in Animal husbandry and Dairy from a recognised University**.**

(2) 5 years experience of working of Co-operative Milk Scheme or Milk Product plants for those who do not have Bachelor's degree in Dairy Technology.

(3) Working knowledge in Hindi written in Devanagri Script.

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing Appendix	*Appendix as hereby substituted*
Deputy Dairy Development Officer, Dairy Manager, Dairy Survey, Dairy Assistant Director **Essential Qualification:** **(1)** Bachelor's Degree in Dairy Technology from a recognised University. OR Diploma in Dairy Science from a recognised Indian University or Foreign Institute. OR Bachelor's Degree in Agriculture with Specialisation in Animal husbandry and Dairy from a recognised University**.** (2) 5 years experience of working of Co-operative Milk Scheme or Milk Product plants for those who do not have Bachelor's degree in Dairy Technology. (3) Working knowledge in Hindi written in Devanagri Script.	

By order,

RAVINDRA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 127 राजपत्र–2024–(365)–599 प्रतियाँ (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 दुग्ध–2024–(366)–300 प्रतियाँ (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।

127 RPH 2024 (dugh vikas Anubhg-1) Data 1e